

# यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-34/2019

प्रतिवादीगण

वादीनी  
1 धनीदेवी पत्नी ठाकराराम  
जाति जाट निवासी धोनरी  
नाडी तहसील व जिला बनाम  
बाड़मेर।

1 हरखुदेवी पत्नी हडुमान 2 अणसीदेवी पत्नी  
गुमनाराम 3 पारुदेवी पत्नी मुलाराम 4 पुरोदेवी  
पत्नी रतनाराम 5 तीजोदेवी पत्नी मगाराम 7  
सोनीदेवी पत्नी किस्तुराराम जाति जाट निवासी  
धोनरी नाडी तहसील व जिला बाड़मेर 8  
तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :- 1. श्री कुन्दनसिंह चौहान वकील वादीनी।

## निर्णय

दिनांक 12.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 34/2019 अनवान धनीदेवी बनाम हरखुदेवी वगैरह में दिनांक 12.09.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाड़मेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।

तहसीलदार बाड़मेर के पत्रांक भू.अ./2020/3016 दिनांक 01.10.2020 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादीनी की बहस सुनी गई। तहसीलदार बाड़मेर ने अवगत करवाया कि उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार उनकी सहमति से तैयार किया गया है। उभय पक्ष उक्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है।

अतः तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के महेनजर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के मध्य मौजा धोनरीनाडी पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 184/134 रकबा 43.15 बीघा, खसरा संख्या 236/134 रकबा 43.16 बीघा कुल रकबा 87.11 बीघा भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के मध्य भूमि का विभाजन निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	धनीदेवी पत्नी ठाकराराम जाति जाट सा. धोनरी नाडी खातेदार	184/134	10.19	बासो	0.55	हरा
		236/134	10.19	बासो	0.55	
	योग -	2	21.18	-	1.10	
2	हरखुदेवी पत्नी हडुमान अणसीदेवी पत्नी गुमनाराम पारुदेवी पत्नी मूलाराम पुरोदेवी पत्नी रतनाराम तीजोदेवी पत्नी मगाराम सोनीदेवी पत्नी किस्तुराराम जाति जाट सा. धोनरी नाडी खातेदार	184/134	32.16	बासो	1.64	लाल
		236/134	32.17	बासो	1.64	
	योग-	2	65.13	-	3.28	


तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे तथा नक्शा में तरमीम करावे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा परिशिष्ट-अ निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(रोहित चौहान)

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर  
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर



न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर  
पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)  
अनवान

अन्तिम डिकरी

वादीनी  
1 धनीदेवी पत्नी ठाकराराम  
जाति जाट निवासी धोनरी नाडी  
तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण  
1 हरखुदेवी पत्नी हड्डमान 2 अणसीदेवी पत्नी  
गुमनाराम 3 पारुदेवी पत्नी मुलाराम 4 पुरोदेवी पत्नी  
रतनाराम 5 तीजोदेवी पत्नी मगाराम 7 सोनीदेवी पत्नी  
किस्तुराराम जाति जाट निवासी धोनरी नाडी तहसील व  
जिला बाड़मेर 8 तहसीलदार बाड़मेर।

दावा बाबत् 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 34/2019

निर्णय दिनांक :- 12.8.21

वकील वादीनी एवं वकील प्रतिवादी संख्या .....-..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ..... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के मध्य मौजा धोनरीनाडी पटवार क्षेत्र रावतसर तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 184/134 रकबा 43.15 बीघा, खसरा संख्या 236/134 रकबा 43.16 बीघा कुल रकबा 87.11 बीघा भूमि में वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के मध्य भूमि का विभाजन निम्नप्रकार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	धनीदेवी पत्नी ठाकराराम जाति जाट सा. धोनरी नाडी खातेदार	184/134 236/134	10.19 10.19	बासो बासो	0.55 0.55	हरा
	योग -	2	21.18	-	1.10	
2	हरखुदेवी पत्नी हड्डमान अणसीदेवी पत्नी गुमनाराम पारुदेवी पत्नी मुलाराम पुरोदेवी पत्नी रतनाराम तीजोदेवी पत्नी मगाराम सोनीदेवी पत्नी किस्तुराराम जाति जाट सा. धोनरी नाडी खातेदार	184/134 236/134	32.16 32.17	बासो बासो	1.64 1.64	लाल
	योग-	2	65.13	-	3.28	

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे तथा नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा परिशिष्ट-अ निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह आज तारीख 12-8-21 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रोहित चौहान)

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	जोड़	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	जोड़
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			